



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1038]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 1038]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1595(अ).**—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को अग्रेषित कर सकता है या उसे ई-मेल पते : [mk.singh65@igs.nic.in](mailto:mk.singh65@igs.nic.in) और [satish.garkoti@nic.in](mailto:satish.garkoti@nic.in) पर भेज सकता है ।

**प्रारूप अधिसूचना**

केन्द्रीय सरकार, उत्तरदायी कारबार करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है; और भवन तथा संनिर्माण सेक्टर, जो आवास की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए अनुज्ञाओं को सरल बना रही है तथा इस प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की स्कीम में महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है ;

और इमारतें अधिकतर संनिर्माण सामग्री, विद्युत जल की महत्वपूर्ण उपभोक्ता होती हैं तथा भारी मात्रा में मल जल और ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं जिनका परियोजना के जीवन पर महत्वपूर्ण कार्बन फुट प्रिंट होता है;

और वर्तमान पर्यावरणीय व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र का केवल बीस हजार वर्ग मीटर से अधिक की इमारतें और उनका संनिर्माण आता है जब कि संनिर्मित की गई अधिकांश इमारतें छोटे आकार की होती हैं और पर्यावरणीय विषयों, बातों तथा छोटे आकार की इमारतों के संनिर्माण तथा संक्रिया और छोटे आकार के संनिर्माण सेक्टर परियोजनाओं में भी सर्वोत्तम पद्धतियों को समाकलित करना महत्वपूर्ण होता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम(3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो राजपत्र में उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) पैरा 13 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“14. सरकार ने स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्माण अनुमति (अस्पतालों के सिवाय) प्रदान किए जाने के साथ ही पर्यावरणीय शर्तों को समाकलित करने का विनिश्चय किया है। आकार के अनुसार इमारतें और संनिर्माण परिशिष्ट XIII में दिए गए अनुसार विहित लक्ष्य, निगरानी योग्य पर्यावरणीय शर्तों का अनुसरण करेंगे। ऐसे राज्य जो अपने भवन उपविधियों में इन लक्ष्यों तथा निगरानी योग्य पर्यावरणीय शर्तों और सुसंगत विधियों को अपना रहे हैं तथा भवन संनिर्माण के लिए दिए गए अनुमोदनों में इन शर्तों को समाविष्ट कर रहे हैं जिससे इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाया जा सके, व्यष्टिक इमारतों के लिए पृथक् पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी। राज्य पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी उप विधियों तथा नियमों में ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन भेजेंगे जो प्रारूप की समीक्षा करेगा और सहमति देगा। मंत्रालय द्वारा सहमति दिए गए उप विधियों और नियमों को राज्य द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने के उपरांत मंत्रालय व्यष्टिक विनिश्चय के माध्यम से इस अधिसूचना के अधीन आदेश जारी करेगा कि उन राज्यों या स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों, जिनके लिए ऐसे नियम अधिसूचित किए गए हैं या विधियां अधिनियमित की गई हैं, में अवस्थित इमारतों के लिए कोई पृथक् पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है। विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे स्थानीय प्राधिकारी (केवल दो सौ वर्ग मीटर से अधिक की इमारतों के लिए) ऐसी इमारतों के लिए नियत अपेक्षाओं के अनुसार यथा लागू किए गए समापन प्रमाण पत्र और प्रचालन के लिए सहमति के जारी किए जाने से पूर्व इन पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रमाणित करेंगे। ऐसे राज्य जिनमें ऐसा विधान या नियम नहीं बनाए गए हैं इस अधिसूचना में अधिकथित उपबंधों के अनुसार व्यष्टिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था तथा इमारतों और संनिर्माणों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की मंजूरी का पालन करते रहेंगे।”।

(II) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| (1)  | (2)                            | (3)                                      | (4)   | (5)  |
|------|--------------------------------|--|---|--|
| “8.  |                                | भवन/योजना संनिर्माण/विकास योजना और नगरीय |   |  |
| 8(क) | भवन निर्माण/संनिर्माण परियोजना |  | निर्मित क्षेत्र का $\geq 20,000$ वर्ग मीटर और $\leq 1,50,000$ वर्ग मीटर | इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “निर्मित क्षेत्र” पद, सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र जिसके अंतर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित है।<br>टिप्पण 1- परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिक शेड, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक |

|      |                               |   |  |  |
|------|-------------------------------|---|--|--|
|      |                               |   |  | संस्थाओं के लिए छात्रावास, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और गोदाम (किसी विनिर्माणकारी और प्रसंस्करण सुविधा रहित) नहीं होंगे किंतु ऐसी इमारतें पोषणीय पर्यावरणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी और परिशिष्ट 13 में दी गई पर्यावरणीय शर्तों को कार्यान्वित करेंगी।<br>टिप्पण 2- साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी। |
| 8(ख) | नगरी और क्षेत्र विकास योजनाएं | निर्मित क्षेत्र का $\geq$ 3,00,000 वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का $\geq$ 150 हेक्टेयर | निर्मित क्षेत्र का $\geq$ 1,50,000 वर्ग मीटर और $<$ 3,00,000 वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का $\geq$ 50 हेक्टेयर और $<$ 150 हेक्टेयर | टिप्पण- साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी  |

[फा. सं. 19-2/2013-ए-III(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-XIII

भवन निर्माण तथा संनिर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(प्रवर्ग '1': 5,000 से 20,000 वर्ग मीटर)

| माध्यम                                     | क्रम सं. | पर्यावरणीय शर्तें  |
|--|----------|--|
| प्राकृतिक जल निकास                         | 1        | प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का अंतः प्रवेश और निकास बिंदु का अबाधित जल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए चैनल के पर्याप्त आकार के साथ रखरखाव किया जाना चाहिए  |
| जल संरक्षण-वर्षा जल संचयन और भू जल रिचार्ज | 2        | वर्षा जल संचयन योजना को वहां अभिकल्पित किए जाने की आवश्यकता है जहां रिचार्ज छिद्र (निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम एक प्रति 5000 वर्ग मीटर) का उपबंध किया जाएगा। संचयित वर्षा जल को पीने योग्य नगर पालिक जल प्रदाय के साथ मिश्रित न करने के लिए पृथक् जल टैंक और पाइपलाइन की व्यवस्था के माध्यम से घरों में पुनः उपयोग के लिए पानी की टंकी में भंडारित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त संचयित वर्षा जल की फिल्टर करने की व्यवस्था के पश्चात् पाइपलाइन के माध्यम से परिसर में ट्यूबवेल बोर से जोड़ा जाए। |
|  | 2(क)     | खंडजा रहित क्षेत्र आमोद-प्रमोद खुले स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक या उसके समतुल्य होगा।  |
| ठोस अपशिष्ट प्रबंधन                        | 3        | पृथक् आर्द्र और सूखी धानियों के अपशिष्ट के पृथक्करण को सुकर बनाने के लिए भू-स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए।  |
| ऊर्जा                                      | 4        | सामान्य क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था में एलईडी/सौर लाइटों की व्यवस्था की जानी चाहिए।  |
| वायु गुणवत्ता और ध्वनि                     | 5        | धूल, धूम्र और मलबा निवारण उपाय जैसे स्क्रीनों, बैरिकेट लगाने, संनिर्माण के दौरान स्थल पर संस्थापित किए जाएंगे। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के प्लास्टिक या तिरपाल के शीट कवर।  |
|  | 5(क)     | डीजी सेट का निष्कासक पाइप यदि संस्थापित किया जाए, इमारत से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए और यदि यह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो निष्कासक अर्थात् यू से इमारत के 3 मीटर ऊपर से लिया जाएगा।   |
| हरित क्षेत्र                               | 6        | भूमि के प्रत्येक 80 वर्ग मीटर के कम से कम एक वृक्ष का पौधा रोपण किया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। विद्यमान वृक्षों की इस प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी। देशी प्रजातियों का पौधा रोपण करने को अधिमान दिया जाना चाहिए।  |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 6(क) | जहाँ वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता है वहाँ 1:3 (अर्थात् प्रत्येक एक वृक्ष जिसे काटा गया है के स्थान पर तीन वृक्ष लगाना) करना के अनुपात में प्रतिकरात्मक पौधा रोपण और उसका रखरखाव। |
|--|------|--|

भवन निर्माण तथा संनिर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(प्रवर्ग '2': 20,000 से 50,000 वर्ग मीटर)

| माध्यम                                     | क्रम सं. | पर्यावरणीय शर्तें  |
|--|----------|--|
| प्राकृतिक जल निकास                         | 1        | प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का अंतः प्रवेश और निकास बिंदु का अबाधित जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए चैनल के पर्याप्त आकार के साथ रखरखाव किया जाना चाहिए।  |
| जल संरक्षण-वर्षा जल संचयन और भू जल रिचार्ज | 2        | वर्षा जल संचयन योजना को वहाँ परिकल्पित किए जाने की आवश्यकता है जहाँ रिचार्ज छिद्र (निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम एक प्रति 5000 वर्ग मीटर ) का उपबंध किया जाएगा। संचयित वर्षा जल को पीने योग्य नगरपालिक जल प्रदाय के साथ मिश्रित न करने के लिए पृथक् जल टैंक और पाइपलाइन की व्यवस्था के माध्यम से घरों में पुनः उपयोग के लिए पानी की टंकी में भंडारित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त संचयित वर्षा जल की फिल्टर करने की व्यवस्था के पश्चात् पाइपलाइन के माध्यम से परिसर में ट्यूबवेल बोर से जोड़ा जाए। |
|  | 2(क)     | कच्चा क्षेत्र आमोद-प्रमोद खुले स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक या उसके समतुल्य होगा।   |
| ठोस अपशिष्ट प्रबंधन                        | 3        | पृथक् आर्द्र और सूखी धानियों के अपशिष्ट के पृथक्करण को सुकर बनाने के लिए भू-स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए।  |
|  | 3(क)     | सभी अजैविक अपशिष्ट प्राधिकृत पुनःचक्रकों को सौंपा जाएगा जिसके लिए एक लिखित करार प्राधिकृत पुनः चक्रकों के साथ किया जाना चाहिए।   |
|  | 3(ख)     | जैविक अपशिष्ट कम्पोस्ट/ कृमि खेती का खड्ड जिसकी न्यूनतम क्षमता 0.3 किलोग्राम/ चाल की कोठरी/दिन हो, संस्थापित होना चाहिए।   |
| ऊर्जा                                      | 4        | सभी सामान्य क्षेत्रों में एलईडी/सौर लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए।   |
|  | 4(क)     | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे फोटोवोल्टायक सेल या पवन चक्की या हाइब्रिड से उत्पादित संसक्त अनुप्रयुक्त भाग का कम से कम एक प्रतिशत उपलब्ध कराया जाए।  |
|  | 4(ख)     | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम सौ लीटर की न्यूनतम क्षमता का सौर जल ऊष्मक/ चार व्यक्ति (प्रति व्यक्ति 25 लीटर) संस्थापित किया जाए।  |
|  | 4(ग)     | फ्लाइ एश ईटों का उपयोग। फ्लाइ ऐश का प्रयोग सितंबर, 1999 की फ्लाइ ऐश अधिसूचना तथा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार संनिर्माण में भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए।  |
| वायु गुणवत्ता और ध्वनि                     | 5        | धूल, धूम्र और मलबा निवारण उपाय जैसे पहियों की धुलाई, स्क्रीनों, बैरीकेडिंग और मलबा प्रणाल, संनिर्माण जिसके अंतर्गत स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के प्लास्टिक / तिरपाल के शीट कवर भी हैं, के दौरान स्थल पर संस्थापित किए जाएंगे।   |
|  | 5(क)     | डीजी सेट का निष्कासक पाइप यदि संस्थापित किया जाए तो इमारत से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए या यदि यह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो निष्कासक पाइप इमारत के ऊपर से 3 मीटर तक लिया जाएगा।   |
| हरित क्षेत्र                               | 6        | भूमि के प्रत्येक 80 वर्ग मीटर के लिए कम से कम एक वृक्ष का पौधा रोपण किया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। विद्यमान वृक्षों की इस प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी। देशी प्रजातियों के पौधा रोपण को अधिमान दिया जाना चाहिए।   |
|  | 6(क)     | जहाँ वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता है वहाँ 1:3(अर्थात् प्रत्येक एक वृक्ष जिसे काटा गया है, के स्थान पर तीन वृक्ष लगाना) के अनुपात में प्रतिकरात्मक पौधारोपण के साथ उसके रखरखाव को बनाए रखने की बाध्यता।   |

भवन निर्माण तथा संनिर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें  
(प्रवर्ग '3':50,000 से 1,50,000 वर्ग मीटर)

| माध्यम                                     | क्रम सं. | पर्यावरणीय शर्तें   |
|--|----------|---|
| प्राकृतिक जल निकास                         | 1        | प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का अंतः प्रवेश और निकास बिंदु का अबाधित जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए चैनल के पर्याप्त आकार के साथ रखरखाव किया जाना चाहिए  |
| जल संरक्षण-वर्षा जल संचयन और भू जल रिचार्ज | 2        | वर्षा जल संचयन योजना को वहां अभिकल्पित किए जाने की आवश्यकता है जहां रिचार्ज छिद्र (निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम एक प्रति 5000 वर्ग मीटर ) का उपबंध किया जाएगा। संचयित वर्षा जल को पीने योग्य नगर पालिक जल प्रदाय के साथ मिश्रित न करने के लिए पृथक् जल टैंक और पाइपलाइन की व्यवस्था के माध्यम से घरों में पुनः उपयोग के लिए पानी की टंकी में भंडारित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त संचयित वर्षा जल की फिल्टर करने की व्यवस्था के पश्चात् पाइपलाइन के माध्यम से परिसर में ट्यूबवेल बोर से जोड़ा जाए। |
|  | 2(क)     | कच्चा क्षेत्र आमोद-प्रमोद खुले स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक या उसके समतुल्य होगा।  |
|  | 2(ख)     | सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना भू जल नहीं निकाला जाएगा।   |
|  | 2(ग)     | संनिर्माण में पीने योग्य पानी का उपयोग कम से कम कया जाएगा।  |
|  | 2(घ)     | जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न प्रवाह फिक्सर और सेंसरों का उपयोग किया जाएगा।   |
|  | 2(ङ.)    | भूरे और काले जल का पृथक्करण दोहरी नलसाजी प्रणाली का प्रयोग करके किया जाना चाहिए।  |
| ठोस अपशिष्ट प्रबंधन                        | 3        | अपशिष्ट के पृथक्करण को सुकर बनाने के लिए भू-सतह पर पृथक् आर्द्र और सूखी धानियों के व्यवस्था की जानी चाहिए।  |
|  | 3(क)     | सभी अजैविक अपशिष्ट प्राधिकृत पुनःचक्रकों को सौंपा जाएगा जिसके लिए एक लिखित करार प्राधिकृत पुनः चक्रकों के साथ किया जाना चाहिए।  |
|  | 3(ख)     | जैविक अपशिष्ट कम्पोस्टर/ कृमि खेती खड्ड जिसकी न्यूनतम क्षमता 0.3 किलोग्राम/ चाल की कोठरी/दिन हो, संस्थापित किया जाना चाहिए जिसमें टीपी गाद का प्रयोग खाद में बदलने के लिए किया जा सकेगा जिसका स्थल पर प्रयोग किया जा सकता है या प्राधिकृत पुनः चक्रकों को सौंपा जा सकता है जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रकों के साथ लिखित करार किया जाना चाहिए।   |
| ऊर्जा                                      | 4        | सभी सामान्य क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था में एलईडी/सौर लाइटों की व्यवस्था की जानी चाहिए।   |
|  | 4(क)     | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे फोटोवोल्टायक सेल या पवन चक्की या हाइब्रिड से उत्पादित संस्कृत अनुप्रयुक्त भार का कम से कम एक प्रतिशत उपलब्ध कराया जाए।  |
|  | 4(ख)     | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम सौ लीटर की न्यूनतम क्षमता का सौर जल ऊष्मक/ चार व्यक्ति (प्रति व्यक्ति 25 लीटर) संस्थापित किया जाए।   |
|  | 4(ग)     | फ्लाइ ईश ईटों का उपयोग। फ्लाइ ईश का प्रयोग सितंबर, 1999 की फ्लाइ ईश अधिसूचना तथा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार संनिर्माण में भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाना  |
|  | 4(घ)     | वास्तुविद् अभिकल्प अभिगमों का प्रयोग करके इमारतों का निष्क्रिय सौर अभिकल्प की धारणा का उपयोग जो पारंपरिक ऊर्जा दक्ष युक्तियों जैसे यांत्रिकी और विद्युत पंप, पंखे, लाइट फिक्सरों और अन्य उपस्कर जिनमें निष्क्रिय अभिकल्प तत्व जैसे निर्माण अभिविन्यास और स्थलाकृति, दक्ष भवन निर्माण आवरण, समुचित खिड़कियों की व्यवस्था, वर्धित दिन में प्रकाश अभिकल्प और तापीय परिमाण को समाकलित करके इमारतों में ऊर्जा खपत को न्यूनीकृत करता है,।   |

|                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
|                         | 4(ड.) | इमारतों में ऊर्जा प्रणालियों का ईष्टतम उपयोग जिसे भारत सरकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता(ईसीबीसी), 2007 में सिफारिश किए गए अनुसार आज्ञापक अनुपालन उपायों (सभी लागू भवन निर्माण के लिए) का पालन करके भवन निर्माण की कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुकूल विनिर्दिष्ट आंतरिक पर्यावरण। |
| वायु गुणवत्ता और ध्वनि  | 5     | धूल, धूम्र और मलबा निवारण उपाय जैसे पहियों की धुलाई, स्क्रीनों, बैरीकेडिंग और मलबा प्रणाल, संनिर्माण जिसके अंतर्गत स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के प्लास्टिक / तिरपाल के शीट कवर भी हैं, के दौरान स्थल पर संस्थापित किए जाएंगे।   |
|                         | 5(क)  | डीजी सेट का निष्कासक पाइप यदि संस्थापित किया जाए, इमारत से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए और यदि यह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो निष्कासक इमारत के ऊपर से 3 मीटर तक लिया जाएगा।  |
| हरित क्षेत्र            | 6     | भूमि के प्रत्येक 80 वर्ग मीटर के लिए कम से कम एक वृक्ष का पौधा रोपण किया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। विद्यमान वृक्षों की इस प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी। देशी प्रजातियों के पौधा रोपण को अधिमान दिया जाना चाहिए।   |
|                         | 6(क)  | जहां वृक्षों को काटे जाने की जरूरत है वहां 1:3 (अर्थात् प्रत्येक एक वृक्ष जिसे काटा गया है के स्थान पर तीन वृक्ष लगाना) के अनुपात में प्रतिकरात्मक पौधा रोपण के साथ उसके रखरखाव बनाए रखने की बाध्यता।  |
| मल वहन उपचार संयंत्र    | 7     | सौ प्रतिशत अपशिष्ट जल के उपचार करने की क्षमता का मल वहन उपचार संयंत्र संस्थापित किया जाए। बागवानी और प्रक्षालन के लिए उपचारित जल को पुनःचक्रित किया जाए।   |
| पर्यावरण प्रबंध संयंत्र | 8     | मल वहन उपचार संयंत्र प्रबंध, स्थलाकृति, वर्षा जल संचयन, पर्यावरण योजना अवसंरचना के लिए पावर बैकअप, पर्यावरण मानीटरी, ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा सौर और ऊर्जा संरक्षण जैसे पर्यावरण अवसंरचना को परिभाषित कृत्यों और उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण मानीटरी के माध्यम से परिचालित रखा जाना चाहिए।                  |

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2016

**S.O. 1595(E).**—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at:- mk.singh65@ias.nic.in and satish.garkoti@nic.in.

### Draft Notification

Whereas, the Central Government is working for ensuring Ease of Doing Responsible Business; and streamlining the permissions for buildings and construction sector which is important for providing house and for this purpose the scheme of Housing for all by 2022 with an objective of making available of affordable housing to weaker section in urban area has ambitious target;

And whereas, the buildings are important consumers of host of construction materials, electricity, water, and generates large quantity of sewage and solid waste, having significant carbon footprint over life of the project;

And whereas, the current environmental regime covers buildings and constructions of only above 20,000 square meter of built up area, whereas majority of the buildings being constructed are of smaller size and it is important to integrate environmental concerns, considerations and best practices into the construction and operation of building and construction sector projects of smaller sizes as well;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification which shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette, namely:-

In the said Notification,-

(I) after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“14. The Government has decided to integrate the environmental conditions with the building permission (except for hospitals) being granted by the local authorities, the buildings and constructions as per the size shall follow the prescribed objective, monitorable environmental conditions as given at Appendix-XIII. The States adopting these objective and monitorable environmental conditions in their building bye-laws and relevant laws and incorporating these conditions in the approvals given for building construction making it legally enforceable shall not require a separate environmental clearance for individual buildings. The States shall send such proposed changes in their bye-laws and rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who will examine the draft and convey the concurrence. After the State finally notifies the bye-laws and rules concurred by the Ministry, the Ministry shall issue an order under this notification through individual decision that no separate environmental clearance is required for buildings located in those States or local authority areas for which such rules have been notified or laws enacted. The local authorities like development authorities, Municipal Corporations, State Pollution Control Boards (for buildings only above 20000 sq. mtrs) will certify the compliance of these environmental conditions prior to issuance of Completion Certificate and Consent to Operate, as applicable as per the requirements stipulated for such buildings. The States where such legislation or rules are not made will continue to follow the arrangement of appraisal of individual projects and grant of Environmental Clearance for buildings and constructions as per the provisions laid down in this notification.”.

(II) In the said notification, in the Schedule, for item 8 and for the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

| (1)   | (2)                                 | (3)  | (4)  | (5)  |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|
| “8    |                                     | Building / Construction projects / Area Development projects and Townships |  |  |
| 8 (a) | Building/ and Construction projects |  | ≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area | The term “built up area” for the purpose of this notification, the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects.<br><br>Note 1.- The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, Information Technology Parks, and Godowns (without any manufacturing and processing facility) , but such buildings shall ensure sustainable environmental management and implement environmental conditions given at Appendix- |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
|       |   |  |  | XIII.<br>Note 2.-General Condition Shall not apply. |
| 8 (b) | Townships and Area Development projects | ≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or<br>Covering an area ≥ 150 ha | ≥1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or<br>covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha | Note.- General Condition Shall not apply            |

[F. No. 19-2/2013-IA-III(Pt.)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Appendix -XIII****ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS****(CATEGORY '1': 5000 to 20000 square meters)**

| MEDIUM  | S.N   | ENVIRONMENTAL CONDITIONS  |
|---|-------|---|
| Natural Drainage  | 1     | The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.  |
| Water conservation - Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge | 2     | A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sq mt of built up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtering arrangement of the rain water |
|   | 2(a)  | The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.  |
| Solid Waste Management  | 3     | Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.   |
| Energy  | 4     | In common area lighting must be of LED/Solar lights be provided.  |
| Air Quality and Noise   | 5     | Dust, smoke & debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/tarpaulin sheet covers for trucks bringing in sand & material at the site.  |
|   | 5 (a) | The exhaust pipe of the DG set if installed must be minimum of 10 mtr. away from the building or incase it is less than 10m away, the exhaust i e shall be taken u to 3m above the building.  |
| Green Cover   | 6     | A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.  |
|   | 6 (a) | Where the trees need to be cut compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) and maintained.  |

**ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS****(CATEGORY '2': 20000 to 50000 square meters)**

| MEDIUM  | S.N | ENVIRONMENTAL CONDITIONS  |
|---|-----|---|
| Natural Drainage                                | 1   | The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.  |
| Water conservation - Rain Water Harvesting, and | 2   | A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sq mt of built up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtering |



|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| Ground Water Recharge  |       | arrangement of the rain water.  |
|                        | 2(a)  | The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.  |
| Solid Waste Management | 3     | Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.   |
|                        | 3 (a) | All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.   |
|                        | 3(b)  | Organic waste composter/Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /tenement/day must be installed.   |
| Energy                 | 4     | All common area lighting must be of LED/Solar lights.   |
|                        | 4 (a) | At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid be provided.  |
|                        | 4 (b) | As per the provisions of the Ministry of New and Renewable Energy solar water heater of minimum capacity 100 lit/ 4 persons (25 litre per capita) to be installed.  |
|                        | 4 (c) | Use of flyash bricks. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from time to time.  |
| Air Quality and Noise  | 5     | Dust, smoke & debris prevention measures such as wheel washing, screens, barricading & debris chute shall be installed at the site during construction including plastic/tarpaulin sheet covers for trucks bringing in sand & material at the site. |
|                        | 5 (a) | The exhaust pipe of the DG set if installed must be minimum of 10mtr. Away from the building or incase it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.   |
| Green Cover            | 6     | A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.  |
|                        | 6 (a) | Where the trees need to be cut compensatory plantation in the ratio of 1:3 (I.e. planting of 3 trees' for every 1 tree that is cut) with the obligation to continue maintenance   |

### ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

(CATEGORY '3': 50000 to 150000 square meters)

| MEDIUM  | S.N   | ENVIRONMENTAL CONDITIONS   |
|---|-------|--|
| Natural Drainage  | 1     | The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.   |
| Water conservation - Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge | 2     | A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sq mt of built up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtering arrangement of the rain water. |
|   | 2(a)  | The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.   |
|   | 2 (b) | The ground water shall not be withdrawn without approval from the competent authority.   |
|   | 2 (c) | Use of potable water in construction should be minimized.  |
|   | 2 (d) | Low flow fixtures and sensors be used to promote water conservation.   |
|   | 2 (e) | Separation of grey and black water should be done by the use of duel plumbing system.  |
| Solid Waste Management  | 3     | Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.  |
|   | 3 (a) | All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.  |

|                              |       |   |
|------------------------------|-------|---|
|                              | 3(b)  | Organic waste composter/Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /tenement/day must be installed wherein the TP sludge may be used to be converted to manure which could be used at the site or handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.  |
| Energy                       | 4     | All common area lighting must be of LED/Solar lights.   |
|                              | 4 (a) | At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid be provided.  |
|                              | 4 (b) | As per the provisions of the Ministry of New and Renewable Energy solar water heater of minimum capacity 100 lit/ 4 persons (25 litre per capita) to be installed.  |
|                              | 4 (c) | Use of fly ash bricks. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from time to time.   |
|                              | 4 (d) | Use of concept of passive solar design of buildings using architectural design approaches that minimize energy consumption in buildings by integrating conventional energy-efficient devices, such as mechanical and electric pumps, fans, lighting fixtures and other equipment, with the passive design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass. |
|                              | 4 (e) | Optimize use of energy systems in buildings that should maintain a specified indoor environment conducive to the functional requirements of the building by following mandatory compliance measures (for all applicable buildings) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India.   |
| Air Quality and Noise        | 5     | Dust, smoke & debris prevention measures such as wheel washing, screens, barricading & debris chute shall be installed at the site during construction including plastic/tarpaulin sheet covers for trucks bringing in sand & material at the site.   |
|                              | 5 (a) | The exhaust pipe of the DG set if installed must be minimum of 10mtr. Away from the building or incase it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.   |
| Green Cover                  | 6     | A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.  |
|                              | 6 (a) | Where the trees need to be cut compensatory plantation in the ratio of 1:3 (I.e. planting of 3 trees' for every 1 tree that is cut) with the obligation to continue maintenance   |
| Sewage Treatment Plant       | 7     | Sewage treatment plant of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated water be recycled for gardening and flushing.  |
| Environment Management Plant | 8     | The environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Management Landscaping, Rain Water Harvesting, Power backup for environment Plan infrastructure, Environment Monitoring, Solid Waste Management and Solar and Energy conservation, should be kept operational through Environment Monitoring Committee with defined functions and responsibility.   |